न्यायालयः–विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा,** (RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः– **28.03.2026**

सेशन प्रकरण संख्याः– **27/2018**

सी.आई.एस. नंबरः– **28/2018**

सी.एन.आर. नंबरः– **RJBR050000592018**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 01/2018, **पुलिस थानाः–अटरू,** जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 336, 504, 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) प्रकरण अधिनियम

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. गोलू उर्फ विनोद कुमार पुत्र हुकुमचन्द, उम्र–34 साल(वर्तमान उम्र–42 साल), 2. दिनेश उर्फ धन्ना पुत्र हुकुमचन्द, उम्र– 26 साल (वर्तमान उम्र–34 साल) निवासीगण–आटोन, थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री कृष्णकांत शर्मा

B

अपराध की दिनांक	28.12.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01.01.2018
आरोप पत्र की दिनांक	09.02.2018
आरोपों की विरचना की दिनांक	20.02.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	20.02.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	28.03.2026
निर्णय की दिनांक	28.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	28.03.2026

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	गोलू उर्फ विनोद कुमार	10.01.2018	12.03.2018	341, 323, 336, 504, 307, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(2)(V) Sc/St Act	धारा 341, 323, 504, 307/34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 62 के अनुसार	दिनांक 10.01.2018 से 12.03.2018
		25.12.2019	03.01.2020				25.12.2019 से 03.01.2020
		27.03.2024	07.06.2024				27.03.2024 से 07.06.2024
		03.08.2025	29.10.2025				03.08.2025 से 29.10.2025
02.	दिनेश उर्फ धन्ना	10.01.2018	12.03.2018	341, 323, 336, 504, 307, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(2)(V) Sc/St Act	धारा 341, 323, 504, 307/34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 62 के अनुसार	दिनांक 10.01.2018 से 12.03.2018

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P. W. 01	रामराज	आहत साक्षी
P. W.02	इन्द्रनारायण	पंच साक्षी
P. W.03	राकेश	परिवादी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.04	रामनाथ	पंच साक्षी
P. W.05	महावीर नागर	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.06	सूरजमल उर्फ सूरजकरण	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.07	राकेश कुमार मीणा	चिकित्सकीय साक्षी
P. W.08	डॉ. कुलदीप शर्मा	चिकित्सकीय साक्षी

P. W.09	रणविजय सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी
P. W.10	डॉ. अरविन्द शर्मा	चिकित्सकीय साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
D. W. 01	गोलू उर्फ विनोद	अभियुक्त/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
D. W.02	सत्यनारायण	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
D. W.03	धनराज	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	नक्शा मौका
02	प्रदर्श पी.02/PW.03	तहरीरी रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी.03/PW.06	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
04	प्रदर्श पी.04/PW.07	एक्सरे कवर नोट आहत राकेश
05	प्रदर्श पी.05/PW.07	एक्सरे प्लेट
06	प्रदर्श पी.06/PW.07	एक्सरे कवर नोट आहत रामराज
07	प्रदर्श पी.07/PW.07	एक्सरे प्लेट
08	प्रदर्श पी.08/PW.08	चोट प्रतिवेदन आहत राकेश
09	प्रदर्श पी.09/PW.08	चोट प्रतिवेदन आहत रामराज
10	प्रदर्श पी.10 व 11/PW.09	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
11	प्रदर्श पी.12/PW.09	चाक एफ.आई.आर.

12	प्रदर्श पी.13/PW.10	सी.टी. स्कैन रिपोर्ट

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श डी.01/ D.W. 01	अभियुक्त पत्नी द्वारा दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 31.12.2017 को परिवादी राकेश द्वारा केम्प एम.बी.एस.एच. कोटा में श्री बाबूलाल हैड कानिस्टेबल 547 थाना अटरू को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम आटोन का रहने वाला है। दिनांक 28.12.2017 बरोज गुरूवार को समय सुबह 09 बजे करीब वह व उसके पिताजी रामदयाल जी व भाई दिनेश व चाचा का लड़का नरेश घर पर थे कि हमारे पड़ौसी महावीर धाकड़ ने घर पर आकर बताया कि रामराज के साथ बाजार में गोलू नाई निवासी आटोन मारपीट कर रहा है। यह सूचना सुन कर वह व उसके पिताजी, दिनेश व नरेश भाग कर बाजार में गये तो हमें गणेश जी की छतरी के पास उसके चाचा रामराज को गोलू, बंटी, नरेश, दिनेश पुत्रगण हुकुमचन्द नाई पकड़ कर मारपीट करते नजर आये जो हमें आता देख कर गाली–गलौंच कर कहने लगे कि तुम रामराज को बचाने आये हो। यह कह कर गाली–गलौंच कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर कहने लगे कि आओ मिन्टो तुम्हें भी देख लेते हैं। यह कह कर चारों भाई भाग कर उनके मकान की छत पर चले गये। छत पर पूर्व से गोलू की पत्नी भी खड़ी थी। हमारे पहुंचते ही गोलू, बन्टी, दिनेश, नरेश व गोलू की पत्नी ने हमारे ऊपर उनके मकान के टीनों पर रखे पत्थर हमारे ऊपर फैंकते रहे, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी, सिर पर चोट लगते ही वह जमीन पर गिर गया। उसके बाद भी वह लोग हमारे ऊपर पत्थर फैंकते रहे,

जिससे उसके चाचा रामराज के भी चोटे लगी। उसके बाद वह बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे होश आया तो वह बारां अस्पताल में था। जहां उसका व चाचा का इलाज चल रहा था। उसके सिर में गंभीर चोट होने से डॉ. साहब ने कोटा एम.बी.एस. में रैफर कर दिया। डॉ. साहब ने उसके सिर में फ्रेक्चर जाहिर किया है। घटना के समय मौके पर महावीर धाकड़, देवकिशन धाकड़, राजाराम मीणा थे, जिन्होंने घटना देखी है।...........इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अटरू द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **01/2018** अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 336, 504, 143 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 09.02.2018 को अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना के विरूद्ध **धारा 341, 323, 336, 504, 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा **धारा 341, 323, 336, 504, 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना कथन किया और साक्ष्य सफाई में गवाह डी.ड. 01 गोलू उर्फ विनोद, डी.ड. 02 सत्यनारायण व डी.ड. 03 धनराज के बयान लेखबद्ध करवाये तथा प्रदर्श डी.01 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाया। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी राकेश के मार्मिक अंग सिर पर इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में पत्थर मार कर, चोट कारित की कि यदि उक्त चोट से आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते?

(ii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा आहत रामराज का सदोष अवरोध कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रामराज के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

(iii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक परिवादी राकेश व आहत रामराज के ऊपर पत्थर फैंक कर मानव जीवन या आहतगण का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?

(iv) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर साशय अपमानित किया?

(v) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया एवं भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किया?

(vi) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण का आशय परिवादी की हत्या करने का नहीं था। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ किसी प्रकार की मारपीट भी नहीं की गयी है। वास्तव में परिवादी पक्ष स्वयं मारपीट की तैयारी कर व हथियारों से लैस होकर अभियुक्त गोलू के घर पर मारपीट करने आये थे। स्वयं परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के घर में जबरन घुसने और टीनशेड पर चढ़ने का प्रयास करने के दौरान टीनशेड पर रखा पत्थर आहत राकेश के सिर पर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट आयी है। घटना बाजार की होना

बतायी है, लेकिन किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है। प्रारंभिक लड़ाई आहत रामराज के साथ होना बतायी है, लेकिन उक्त रामराज द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी है। परिवादी द्वारा अत्यधिक विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज करायी है। परिवादी/आहत राकेश ने जो घटनास्थल बताया है, वह नक्शा मौका से प्रकट नहीं हो रहा है। आहत के जिस पत्थर से चोटें कारित होना बतायी हैं, वह अन्वेषण के दौरान बरामद नहीं किया गया है। किस अभियुक्त द्वारा पत्थर फैंक कर आहतगण के चोटें कारित की हैं, यह भी गवाहों के बयानों से स्पष्ट नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा जाति के आधार पर लड़ाई–झगड़ा या मारपीट नहीं की है तथा उनके द्वारा जातिसूचक शब्दों से परिवादी पक्ष को सम्बोधित भी नहीं किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 रामराज जो स्वयं आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 28.12.2017 को सुबह 09 बजे की बात है। वह बाजार गया था और गणेश जी छतरी के पास पहुंचा तो वहां पर गोलू, दिनेश, नरेश, गोलू की पत्नी उसे मिले। **उसके गोलू की तरफ 30 हजार रुपये थे।** मुल्जिमान ने उसके साथ गाली–गलौंच की और उसके साथ मारपीट की थी। **उसके भाई व भतीजे सूचना मिलने पर आये जो रामदयाल, राकेश थे, जिन्होंने उसका बीच–बचाव किया। रामदयाल व राकेश को देख कर मुल्जिमान अपने मकान पर चढ़ गए थे और हमारे ऊपर पत्थर फैंकने लग गए। राकेश के सिर में चोटें आयी थी। उसके स्वयं के नाक व चेहरे पर चोटें आयी थी।** उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि घटना बाजार की है और घटनास्थल के आसपास काफी दुकाने हैं और काफी भीड़ लगी रहती है। यह कहना गलत है कि पैसों को लेकर उसने मुल्जिमान के साथ गाली–गलौंच की हो। पत्थर मुल्जिमान ने अपने मकान पूर्व की ओर से पत्थर फैंके थे। **किसने किसके साथ मारपीट की पता नहीं है। अजखुद कहा कि मुल्जिमान ने मारा था।**

12– पी.ड. 02 इन्द्रनारायण ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 में क्या लिखा हुआ है पता नहीं है। पुलिस ने खाली कागज पर साईन करवाये थे।

13– पी.ड. 03 राकेश जो स्वयं परिवादी/आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके पिता, नरेश, दिनेश और उसे महावीर धाकड़ ने घर पर आकर बताया कि

बाजार में तुम्हारे चाचा जी रामराज के साथ गोलू, बन्टी, दिनेश, नरेश मारपीट कर रहे हैं। **फिर हम सारे घटनास्थल पर गए तो मुल्जिमान ने हमारे साथ भी गाली–गलौच की कि मीन्टो, तुम्हे भी देख लेते हैं, उन्होने हमें मां–बहन की गालियां दी। गोलू, बन्टी, दिनेश, नरेश और गोलू की पत्नी हमारे उपर पत्थर फैंकने लगे जिनमें से एक पत्थर उसके सिर पर लगा तो वह नीचे गिर गया। उसके सिर पर चोट आई थी।** उसके बाद भी ये पत्थर फैंकते रहे। उसके चाचा जी के भी पत्थर की लगी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मुल्जिमान से इस घटना से पहले कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ और कोई रंजिश भी नहीं थी। मुल्जिमान ने हमारे घर पर आकर कभी कोई मारपीट नहीं की। उसके चाचा और मुल्जिमान के बीच होने वाले झगड़े के 02 मिनट बाद महावीर धाकड़ हमारे पास आ गया था। महावीर हमारे पड़ौस में ही रहता है जो करीब 200 फिट दूर रहता है। झगड़ा 200 मीटर दूर हुआ था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने घर में घुस कर गेट बंद कर लिये हों, बल्कि गेट खुला हुआ था। **यह कहना गलत है कि हम उनके घर में घुसे हों। मुल्जिमान के घर में छत और टीन शेड दोनों हैं। घर के आगे छत है और पीछे टीनशेड है। मुल्जिमान के घर के आगे से ही छत और टीनशेड दिख जाता है।** यह कहना गलत है कि हमने मुल्जिमान के घर में घुस कर इनकी महिलाओं को परेशान किया हो। झगड़े के समय उसने उसके काकाजी से झगड़े का कारण नहीं पूछा, क्योंकि वहां तो झगड़ा हो रहा था। **उसने बाद में पूछा तो उन्होंने बताया कि पैसों का मामला है। हम घटना के तीन दिन बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गये थे। अजखुद कहा कि पुलिस वाले कोटा एम.बी.एस. अस्पताल गये थे।** उसे अच्छी तरह पता है कि मकान की डोलियों पर से पत्थर नहीं गिरे थे। यह कहना गलत है कि घटना के दिन उसके चाचा रामराज ने उसे बताया हो कि वे लोग उससे अपने उधार के पैसे मांगते हैं और अपन मारपीट करने चलेंगे और इसलिए हम पाचों एक राय होकर लकड़ियां, तलवार, धारिया लेकर मुल्जिमान के घर गये और उनके घर को घेर लिया हो। यह कहना गलत है कि जब वह गेट के लातों की दे रहा हो तब डोली से उसके ऊपर पत्थर गिरा हो।

14– पी.ड. 04 रामनाथ ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 में इबारत क्या लिखी है, उसे पता नहीं है।

15– पी.ड. 05 महावीर नागर जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि **रामराज ने विनोद उर्फ गोलू से अपने उधारी के पैसे मांगे थे तो इसी बात को लेकर के गोलू उर्फ विनोद ने रामराज के साथ गाली–गलौच कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया।** विनोद उर्फ गोलू रामराज के साथ हाथों से मारपीट करने लग गया। गोलू ने हाथ में बॉक्सिंग वाले स्टील के पहन रखे थे जिससे गोलू उर्फ विनोद ने हाथ में स्टील की बॉक्सिंग से रामराज के नाक पर मारी। जैसे ही रामदयाल और राकेश को घटना के बारे में पता चला तो वे दोनों रामराज को बचाने आये तो गोलू उर्फ विनोद एवं दिनेश उर्फ

धन्ना अपनी छत पर चढ गये और वहां से जान से मारने की नियत से पत्थर फेंकने लगे। राकेश के सिर में गम्भीर चोट आई। रामदयाल, रामराज के भी पत्थरों से चोटें आई। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके जाने से पहले रामराज, रामयदयाल ने कुछ नहीं किया था। अजखुद कहा कि उसके पहुंचने के बाद रामदयाल और राकेश आये। उसके जाने के पहले केवल रामराज के साथ लड़ाई–झगड़ा हुआ था। यह कहना गलत है कि विनोद और उसकी पत्नी सावित्री बाई के साथ घर में घुस कर रामराज, रामदयाल, बंशीलाल, पप्पू, राकेश, दिनेश, कपिल, नरेश, सोनू, कालू आदि ने मारपीट की हो। **यह कहना गलत है कि उस दिन यह सब लोग हथियारों से लैस होकर गये हों और इनके पास तलवारें हो। यह कहना गलत है कि इन सब मुल्जिमान से अपनी जान बचाने के लिये विनोद अपनी घर की टापरिया पर चढ़ गया हो। अजखुद कहा कि वो ऊपर चढ़कर पत्थर फैंक रहा था**। यह कहना गलत है कि जो चोटें उसने फरियादीगण के बतायी, वो चोटें विनोद के घर का दरवाजा तोड़ते हुए और उसकी टापरिया पर चढ़ने का प्रयास करते हुए गिरने से आयी हो।

16– पी.ड. 06 सूरजमल उर्फ सूरजकरण घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि लड़ाई–झगड़े का उसे कुछ नहीं पता है। किस–किस के बीच हुई, कब हुई, उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर पुलिस बयान प्रदर्श पी.03 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

17– पी.ड. 07 राकेश कुमार मीणा ने मजरूब राकेश पुत्र रामदयाल के सिर का एक्सरे करना तथा एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.04 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.05 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसने मजरूबान का कोई पहचान पत्र वक्त एक्सरे प्राप्त नहीं किया।

18– पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा मेडीकल ज्यूरिष्ट ने प्रकरण में आहत राकेश के शरीर पर आयी चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.08 बनाना और उसमें वर्णित चोट संख्या 01 सिर के दायीं तरफ पैराईटल भाग में दर्द व सूजन, चोट संख्या 02 नाक पर 1X0.1 Cm रगड़नुमा निशान, चोट संख्या 03 दाहिने हाथ की इन्डेक्स अंगुली पर 1X0.1 Cm का फटा हुआ घाव तथा चोट संख्या 04 दायें पैर पर दर्द की शिकायत होना, जिनमें से चोट संख्या 01 बाद एक्सरे व सी.टी. स्कैन सिर की दायीं पैराइटल अस्थि का अस्थिभंग पाया जाना और उक्त चोट गंभीर प्रकृति की व प्राणघातक होना तथा कुंदालय से कारित होना बतायी है। शेष चोट संख्या 02, 03 व 04 साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है। उसी दिन आहत रामराज की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.09 बनाना, जिसमें वर्णित चारों चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी हैं। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.08 व पी.09 की समस्त चोटें अगर कोई व्यक्ति तेज

गति से चलती हुई मोटरसाईकिल से गिर जाये तो आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

19– पी.ड. 09 रणविजय सिंह जो प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, ने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, फरियादी के जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति लेकर शामिल पत्रावली करना, मजरूबान की एम.एल.सी. एक्सरे करवा कर शामिल पत्रावली करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि रामराज और उसके परिजन बाजार में एक चौराहे पर आ गये थे, जहां घटना हुई थी। यह कहना गलत है कि मजरूबान मुल्जिमान के घर पर आये हों। यह कहना सही है कि मुल्जिमानों का घर घटनास्थल के नजदीक है। यह कहना सही है कि उनके घर के बाहर ही घटना हुई है। **यह कहना गलत है कि फरियादी व उसके परिजनों ने घटना के समय मुल्जिमानों के घर में घुस कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी।** यह कहना सही है कि घटनास्थल के आसपास के मकान वालों व दुकान वालों के बयान नहीं लिये थे। अजखुद कहा इसमें चश्मदीद साक्षी थे, इसलिए उनके बयान नहीं लिये थे। **यह तथ्य उसके अनुसंधान में नहीं आया कि मजरूबान ने मुल्जिमान के घर का दरवाजा तोड़ा हो।** यह कहना सही है कि किसी प्रकार की जप्ती भी नहीं की गयी थी। मुल्जिमान के कोई चोटें नहीं थी, इसलिए उनका मेडीकल मुआयना नहीं करवाया।

20– पी.ड. 10 डॉ. अरविन्द शर्मा ने एम.बी.एस. चिकित्सालय में मोडर्न डायगनॉस्टिक सी.टी. स्कैन सेन्टर में कार्यरत रहते हुए आहत राकेश के सिर का सी.टी. स्कैन करना एवं सी.टी. स्कैन में सिर में दायीं ओर की पैराईटल हड्डी में फ्रेक्चर होना और ऊपरी हिस्से में सूजन होना बताया है तथा सी.टी. स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श पी.13 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी.13 में यह अंकित नहीं है कि चोट कितने समय पुरानी थी। यह सही है कि यदि कोई व्यक्ति दायीं तरफ से सिर के बल पत्थर पर गिर जाये तो प्रदर्श पी.13 की चोट आ सकती है। उसने सी.टी. स्कैन पुलिस प्रतिवेदन पर किया था।

21– साक्ष्य सफाई में प्रस्तुत गवाह डी.ड. 01 गोलू उर्फ विनोद जो स्वयं अभियुक्त है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके मकान में उसके साथ उसकी पत्नी सावित्री और तीन बच्चे रहते हैं। उसके भाई दिनेश उर्फ धन्ना एवं अन्य भाई–बहिन सभी अलग रहते हैं, वहां पर सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही रहते हैं। उसने शाम के समय रामराज से उसके घर के सामने सट्टा खेलने से मना किया था। दूसरे दिन सुबह रामराज अपने साथ रामदयाल, कालू, उसके बच्चे, राजाराम, रामराज का बेटा राकेश आदि को लेकर आ गया। सभी अपने हाथों में हथियार लेकर आये और आते ही उसके घर पर हमला कर दिया। वह किवाड़ लगा कर घर के अंदर आ गया, वो लोग किवाड़ तोड़ कर घर के अंदर आ गये। अन्दर आकर उसकी पत्नी के लामकझूमा हो गये और उसके कपड़े उतारने लगे। उसके तलवार की

फैंक कर दी तो वह डर के मारे ऊपर चला गया। हमने चिल्ला–चोंट की तो वहां मोहल्ले के दिनेश, गिर्राज सेन व कल्याण सेन वगैरह आये, जिन्होंने हमारा बीच–बचाव करवाया। उसके पीछे उन्होंने मकान पर चढ़ने की कोशिश की, मकान पर चढ़ने के दौरान पत्थर गिरने से उनके चोटें आयी। उसकी पत्नी ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जो प्रदर्श डी.01 है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि हमने छत पर चढ़ कर फरियादीगण पर पत्थर फैंके हों। पत्थर चद्दरों पर रखे हुए थे। चद्दर कच्ची टापरी पर डाल रखी थी। पुलिस वालों ने नक्शा मौका में कच्ची टापरी या चद्दर नहीं दिखा रही हो तो वह नहीं बता सकता। पत्थर गिरने से सिर्फ एक के ही चोट आयी थी। प्रकरण में दो आहत हों तो वह नहीं बता सकता।

22– डी.ड. 02 सत्यनारायण ने अपने बयानों में कथन किया है कि गोलू उर्फ विनोद चाय की होटल लगाता है। रामराज वगैरह जुआ और सट्टे की पर्चियां काटते हैं। सुबह 8–9 बजे करीब विनोद के घर के पास पर्चियां काटने की बात को लेकर विनोद और रामराज, राकेश वगैरह के बीच गाली–गलौच हुई थी। बाद में रामराज के सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर गोलू के घर पर आ गये। उनके पास लकड़ियां, गण्डासी, तलवार आदि हथियार थे। इनके डर से गोलू भाग कर अपनी छत पर चढ़ गया। गोलू के पीछे राकेश चढ़ने लगा तो टापरी की चद्दर पर पड़ा भाटा उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसके सिर पर चोट आयी। घटना के दिन दिनेश वहां पर नहीं था। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वह घटनास्थल पर ही था, घटना देख रहा था। **उसने छत से गोलू को पत्थर फैंकते हुए देखा था, वह मौके पर ही था।**

23– डी.ड.03 धनराज ने अपने बयानों में कथन किया है कि रामराज और पप्पू वगैरह हथियार लेकर गोलू उर्फ विनोद के घर पर आये थे जो गोलू उर्फ विनोद के साथ मारपीट करने आये थे। **गोलू के साथ मारपीट करने लगे तो गोलू भाग कर छत पर चला गया। उसका घर पक्का है।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि राकेश ने गोलू के तलवार की फैंक कर मारी थी। गोलू को उसने पत्थर फैंकते हुए नहीं देखा था। यह उसे पता नहीं है कि दोनों पक्षों में से किस–किस ने किसके कहां पर चोटें मारी थी। अजखुद कहा कि उसने तो राकेश को तलवार फैंक कर गोलू के मारते देखा था।

24– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–</u>

25– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत राकेश के ऊपर पत्थर फैंक कर उसके मार्मिक अंग सिर पर व शरीर के

अन्य हिस्सों पर इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोटें कारित की कि यदि उक्त चोटों से आहत राकेश की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। इस संबंध में परिवादी/आहत राकेश द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 दर्ज करायी गयी है, उसमें अपने चाचा रामराज के साथ गोलू द्वारा मारपीट करने की सूचना मिलने पर उसका घटनास्थल पर पहुंचना बताया है, जहां रामराज के साथ मारपीट की जा रही थी। आगे रिपोर्ट में यह भी तथ्य अंकित है कि उन्हें देख कर अभियुक्तगण व अन्य उनके मकान की छत पर चले गये और उनके ऊपर पत्थर फैंकने लगे, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी।

26– उक्त परिवादी/आहत राकेश पी.ड. 03 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में भी महावीर धाकड़ द्वारा घर पर आकर रामराज के साथ मारपीट की सूचना देने पर स्वयं का घटनास्थल पर जाना बताया है। पी.ड. 03 राकेश ने अपने बयानों में कथन किया है कि गोलू, बन्टी, दिनेश, नरेश और गोलू की पत्नी हमारे ऊपर पत्थर फैंकने लगे, जिनमें से एक पत्थर उसके सिर पर लगा तो वह नीचे गिर गया। उसके सिर पर चोट आयी थी। इस प्रकार यह गवाह स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद तथा दिनेश उर्फ धन्ना का घटना में सम्मिलित होना और उनके द्वारा पत्थर फैंकना बता रहा है, जिससे स्वयं के सिर पर चोट आने का कथन कर रहा है। अन्य गवाह पी.ड. 01 रामराज ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके गोलू की तरफ 30 हजार रुपये थे। उक्त गवाह ने मुल्जिमान द्वारा स्वयं के साथ मारपीट करना बताया है और अपने भाई व भतीजे रामदयाल, राकेश के आने पर मुल्जिमान का अपने मकान की छत पर चढ़ जाना और वहां से पत्थर फैंकना बताया है। पी.ड. 01 रामराज ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि राकेश के सिर में चोटें आयी थी तथा स्वयं के भी नाक व चेहरे पर चोटें आना बताया है। इस प्रकार पी.ड. 01 रामराज व पी.ड. 03 राकेश ने अभियुक्तगण द्वारा पत्थर फैंकने से दोनों के ही चोटें आने का कथन किया है।

27– घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह महावीर नागर पी.ड. 05 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि विनोद उर्फ गोलू रामराज के साथ हाथो से मारपीट कर रहे थे। आगे इस गवाह ने कथन किया है कि जैसे ही रामदयाल और राकेश को घटना के बारे में पता चला तो वो दोनों रामराज को बचाने आये तो गोलू उर्फ विनोद एवं दिनेश उर्फ धन्ना अपनी छत पर चढ़ गये और वहां से जान से मारने की नीयत से पत्थर फैंकने लगे। राकेश के सिर में गंभीर चोटें आयी। रामदयाल, रामराज के भी पत्थरों से चोटें आयी। इस प्रकार पी.ड. 05 महावीर अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में पत्थर फैंकना और उससे दोनों आहतगण रामराज व राकेश के शरीर पर चोटें आना बता रहा है।

28– मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा ने आहत राकेश की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.08 बनाना बताया है, जिसमें अंकित चोट

संख्या 01 सिर के दायीं तरफ पैराईटल भाग में दर्द व सूजन होना तथा उक्त चोट एक्सरे व सी.टी. स्कैन कराये जाने पर सिर की दायीं पैराईटल अस्थि का अस्थिभंग होना बताया है। उक्त गवाह ने कथन किया है कि चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की व प्राणघातक पायी गयी जो कि कुन्दालय से कारित थी। उक्त आहत राकेश के चोट प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य तीन चोटे साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी हैं। पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा ने आहत रामराज की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.09 बनाना बताया है, जिसमें अंकित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी हैं। पी.ड. 07 राकेश कुमार मीणा रेडियोग्राफर ने आहत राकेश की चोटों का एक्सरे करना तथा एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.04 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.05 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। पी.ड. 10 डॉ. अरविन्द शर्मा ने अपनी देखरेख में आहत राकेश के सिर का सी.टी. स्कैन करवाया जाना और सी.टी. स्कैन के आधार पर उसके सिर के दायीं ओर की पैराईटल हड्डी में फ्रेक्चर होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने सी.टी. स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श पी.13 होना बताया है। इस प्रकार पी.ड. 07 राकेश कुमार मीणा, पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा व पी.ड. 10 डॉ. अरविन्द शर्मा के कथनों से यह स्पष्ट है कि आहत राकेश के सिर के पैराईटल रीजन में अस्थि भंग पाया गया था और उक्त चोट पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा ने गंभीर प्रकृति की व प्राणघातक होना बतायी है। आहत राकेश व रामराज के अन्य चोटें भी कारित होना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहतगण के कथनों की पुष्टि हो रही है।

29– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि घटना दिनांक 28.12.2017 की है, किंतु परिवादी द्वारा दिनांक 31.12.2017 को रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पुलिस को प्रस्तुत की है। परिवादी द्वारा उक्त विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि पी.ड. 01 रामराज ने अपने बयानों में कथन किया है कि घटना के बाद उन्हें अटरू अस्पताल लाये थे, वहां से उन्हें बारां रेफर कर दिया था और बारां अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया था। पुलिस कोटा अस्पताल में आयी थी, जहां रिपोर्ट की थी। स्वयं परिवादी पी.ड. 03 राकेश ने भी अपने बयानों में घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना और फिर वहां से बारां अस्पताल में रैफर करना और बारां से कोटा रैफर करना बताया है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में भी कथन किया है कि पुलिस वाले कोटा एम.बी.एस. अस्पताल में गये थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पर भी अंकित कार्यवाही पुलिस में दिनांक 31.12.2017 को एम.बी.एस.एच. कोटा में परिवादी राकेश द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना बताया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि जहां परिवादी/आहत राकेश को घटना के तत्काल पश्चात् अटरू अस्पताल से बारां और फिर बारां से कोटा रेफर कर दिया गया था तो रिपोर्ट दर्ज करवाने में विलम्ब होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। जहां परिवादी के परिवार वाले आहत राकेश के इलाज में व्यस्त थे तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना और पुलिस थाना

अटरू के पुलिस अधिकारी के एम.बी.एस. अस्पताल में उपस्थित होने पर ही परिवादी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना तथा इस कारण रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया जाना प्रकट हो रहा है। अतः विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कारण स्पष्ट हो रहा है।

30– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि परिवादी राकेश ने रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 व बयानों में अभियुक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी मौके पर उपस्थित होना और उनके द्वारा भी पत्थर फैंकना बताया, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण गोलू व दिनेश के द्वारा ही आहत राकेश के चोटें कारित की हों। किंतु उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि परिवादी/आहत राकेश ने अपनी रिपोर्ट और बयानों में अभियुक्त गोलू उर्फ विनोद तथा दिनेश उर्फ धन्ना की मौके पर उपस्थिति बतायी है और उनके द्वारा पत्थर फैंकने का स्पष्ट कथन किया है। पी.ड. 01 रामराज ने भी अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा पत्थर फैंकना बताया है, ऐसी स्थिति में उक्त दोनों अभियुक्तगण का घटना में संलिप्त होना और सामान्य आशय के अग्रसरण में पत्थर फैंकना प्रकट हो रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 05 महावीर नागर ने विशिष्ट रूप से अभियुक्त गोलू उर्फ विनोद एवं दिनेश उर्फ धन्ना द्वारा छत पर चढ़ कर पत्थर फैंकने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में मौके पर अन्य लोगों की उपस्थिति के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित नहीं रहे हों या अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना द्वारा पत्थर फैंक कर आहत राकेश के उक्त चोटें कारित नहीं की गयी हों।

31– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि आहत राकेश के जो चोटें कारित हुई हैं, वह टीनशेड पर रखे पत्थर के गिर जाने के कारण कारित हुई है। अभियुक्तगण द्वारा आहत पर पत्थर नहीं फैंके गये हैं। साथ ही यह भी तर्क रहा है कि घटना के समय दिनेश उर्फ धन्ना मौके पर उपस्थित नहीं था। इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई में प्रस्तुत गवाहों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है ओर यह भी तर्क दिया है कि स्वयं परिवादी पक्ष ने अभियुक्त गोलू के घर में घुस कर मारपीट की थी, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी.01 भी दर्ज करायी गयी थी। उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि डी.ड. 01 गोूल उर्फ विनोद जो स्वयं अभियुक्त है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने शाम के समय रामराज से उसके घर के सामने सट्टा खेने से मना किया था। दूसरे दिन सुबह रामराज अपने साथ रामदयाल, कालू, उसके बच्चे, राजाराम, रामराज का बेटा राकेश आदि को लेकर आ गया। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह किवाड़ लगा कर घर के अंदर आ गया तो वे लोग किवाड़ तोड़ कर घर के अंदर आ गये। गवाह ने कथन किया है कि उसके पीछे से मकान पर चढ़ने की कोशिश की तो मकान पर चढ़ने के दौरान पत्थर गिरने से उनके चोटें आयीं। इस प्रकार डी.ड. 01 गोलू उर्फ विनोद शाम के समय रामराज से झगड़ा होना और दूसरे दिन परिवादी पक्ष द्वारा उसके

घर पर आकर हमला करना बता रहा है। जबकि डी.ड. 02 सत्यनारायण ने अपने बयानो में कथन किया है कि सुबह 8–9 बजे करीब विनोद के घर के पास पर्चियां काटने की बात को लेकर विनोद और रामराज, राकेश वगैरह के बीच गाली–गलौंच हुई थी। बाद में रामराज के सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर गोलू के घर पर आ गये। इस प्रकार डी.ड. 02 सत्यनारायण सुबह के समय रामराज के साथ विवाद होना और उसके बाद उसके परिवार वालों का आना बता रहा है जबकि डी.ड. 01 गोलू उर्फ विनोद शाम के समय रामराज के साथ झगड़ा होना औद दूसरे दिन रामराज व अन्य लोगों का उसके घर पर आना बता रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है।

32– यहां पर यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि डी.ड. 02 सत्यनारायण ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह घटनास्थल पर ही था, घटना देख रहा था। उसने छत से गोलू को पत्थर फैंकते हुए देखा था। इस प्रकार जहां डी.ड. 02 सत्यनारायण स्वयं अभियुक्त गोलू उर्फ विनोद के द्वारा ही छत से पत्थर फैंकने की बात बता रहा है तो अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क कि अभियुक्तगण द्वारा पत्थर नहीं फैंके गये थे, विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

33– जहां तक अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के मकान के टीनशेड पर रखे हुए पत्थर गिरने से आहत राकेश के चोटें आयी थीं, इस संबंध में डी.ड. 03 धनराज ने अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि गोलू के साथ मारपीट करने लगे तो गोलू भाग कर छत पर चला गया। उसका घर पक्का है। इस प्रकार डी.ड. 03 धनराज के कथनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त गोलू उर्फ विनोद का मकान पक्का बना हुआ था तो ऐसी स्थिति में टीनशेड पर रखे हुए पत्थर गिरने की बात विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 09 रणविजय सिंह को बयानों में भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियुक्त गोलू उर्फ विनोद के मकान पर टीनशेड हो रहा हो और टीनशेड पर रखे हुए पत्थर गिरने से आहत राकेश के चोटें आयी हों। स्वयं आहत पी.ड. 03 राकेश ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त के घर के आगे छत है और पीछे टीनशेड है। उक्त गवाह ने घर के आगे से अर्थात बाहर से ही छत और टीनशेड दिख जाना बताया है। इस प्रकार जहां अभियुक्त गोलू उर्फ विनोद का घर पक्का बना होना साक्ष्य से प्रकट हो रहा है तथा डी.ड. 02 सत्यनारायण स्वयं गोलू द्वारा पत्थर फैंकने की बात बता रहा है तो यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण के घर पर टीनशेड पर पत्थर पड़े हुए हों और वो आहत राकेश के सिर पर गिरने से उसके चोटें आयी हों।

34– जहां तक अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से परिवादी पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट प्रदर्श डी.01 दर्ज कराया जाना बताया है। इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 09 रणविजय सिंह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि परिवादी और उसके परिजनों ने घटना के समय मुल्जिमान के घर में घुस कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़

की थी। यह कहना गलत है कि मुलजिमान के घर में घुस कर उनके साथ मारपीट भी की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करके जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी, उसमें अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कोई रिपोर्ट दर्ज भी करायी गयी है तो वह पुलिस अनुसंधान से सत्य होना प्रकट नहीं हो रही है। इस प्रकार अभियुक्तगण की ओर से दर्ज रिपोर्ट प्रदर्श डी.01 में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के तथ्य से भी यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण के बताये अनुसार परिवादी पक्ष ने उनके मकान में जबरन घुसने का प्रयास किया हो और उस दौरान आहत राकेश के सिर पर चोट आयी हो।

35– जहां तक अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा हे कि दिनेश उर्फ धन्ना अलग मकान में रहता है और घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था। इस संबंध में पी.ड. 01 रामराज, पी.ड. 03 राकेश व पी.ड. 05 महावीर के कथनों से अभियुक्त दिनेश उर्फ धन्ना का मौके पर होना और उसके द्वारा पत्थर फैंका जाना स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जहां अभियोजन साक्ष्य से दोनों अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति होना प्रकट हो रहा है तो उनके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत राकेश पर पत्थर फैंका जाना और इसी अनुक्रम में उसके मार्मिक अंग सिर पर चोटें कारित करना दर्शित हो रहा है।

36– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में घटना में प्रयुक्त पत्थर बरामद नहीं किया है, किंतु इस संबंध में पी.ड. 09 रणविजय सिंह अन्वेषण अधिकारी ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि घटना में कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिले थे। अजखुद कहा कि घटनास्थल आम रास्ता था। इस प्रकार जहां परिवादी आहत के अटरू अस्पताल से बारां अस्पताल और फिर बारां से कोटा रैफर कर देने व इलाज में व्यस्त रहने के कारण एफ.आई.आर. विलम्ब से दर्ज होना प्रकट हो रहा है तथा आम रास्ते पर घटना हुई है तो घटना में प्रयुक्त पत्थर बरामद नहीं होने के आधार पर अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

37– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि घटना के समय स्वयं परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के घर पर मारपीट करने गये थे। आहत राकेश के साथ अभियुक्तगण की पूर्व की कोई रंजिश भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा आहत राकेश की हत्या किये जाने का आशय होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। किंतु उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि परिवादी राकेश ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में ही यह तथ्य बताया है कि जब उन्हें आहत रामराज के साथ मारपीट की सूचना मिली और वे मौके पर बचाने आये तो अभियुक्तगण द्वारा यह कह कर गाली–गलौंच की कि आओ मिन्टों तुम्हें भी देख लेते हैं। रिपोर्ट में उक्त कथन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा मकान की छत पर चढ़ कर पत्थर फैंकना बताया है। स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 05 महावीर नागर ने भी अपने बयानों में यह तथ्य बताते हुए गोलू उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना द्वारा अपनी छत पर

चढ़कर जान से मारने की नीयत से पत्थर फैंकने का कथन किया है। पी.ड. 03 राकेश ने अपने बयानों में भी यही तथ्य बताया है। इस प्रकार पी.ड. 01 रामराज और पी.ड. 03 राकेश के कथनों से यह स्पष्ट है कि जब आहत रामराज अपनी उधारी के पैसे मांगने के लिए गया तो मुल्जिमान द्वारा उसके साथ मारपीट की और जब उसे बचाने के लिए राकेश व रामदयाल मौके पर आये तो अभियुक्तगण द्वारा अपनी छत पर चढ़कर पत्थर फैंके गये। ऐसी स्थिति में यह प्रकट नहीं हो रहा है कि परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के घर मारपीट करने गये हों। इसके अतिरिक्त साक्ष्य से यह भी प्रकट हो रहा है कि आहत राकेश के मौके पर आने पर अभियुक्तगण ने आवेश में आकर राकेश को देख लेने की बात कहते हुए पत्थर फैंके। इस प्रकार अभियुक्तगण का तत्काल मौके पर ही राकेश की हत्या करने का आशय बन जाना प्रकट हो रहा है। जहां अभियुक्तगण द्वारा अपने मकान की छत पर से अर्थात् ऊंचाई से पत्थर फैंके जा रहे थे तो उनका यह आशय व ज्ञान होना स्पष्टतः प्रकट हो रहा है कि वे आहत राकेश के इस प्रकार की चोटें कारित करें, जिससे उसकी हत्या कारित होना संभव हो। यदि परिवादी पक्ष से अभियुक्तगण को लड़ाई–झगड़ा होने की आशंका भी थी तो जब वे अपने मकान के अंदर चले गये थे और छत पर चढ़ गये थे तो उनके पास बचाव का पर्याप्त अवसर था, लेकिन उनके द्वारा आक्रामक रूप से परिवादी पक्ष पर पत्थर फैंका जाना उनका आशय दर्शाता है।

38– यहां पर यह भी विचारणीय तथ्य है कि धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के संबंध में यह निर्धारित करना होता है कि अभियुक्तगण का आशय व ज्ञान आहत की हत्या करने का था या नहीं। इस संबंध में उन सब परिस्थितियों को देखा जाना आवश्यक है, जिनके अधीन आहत के चोट कारित की गयी है। अभियुक्तगण के आशय व ज्ञान के संबंध में निष्कर्ष निकालने हेतु आहत के कारित की गयी चोट की प्रकृति सहायक हो सकती है, परंतु उसके साथ–साथ प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, शरीर के किस अंग पर चोट कारित की गयी, घटना कारित होने के क्या कारण थे अर्थात् घटना बिना किसी गंभीर प्रकोपन के कारित हुई या नहीं, यह महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आहत के कारित चोट कितने बल या तीव्रता के साथ कारित की गयी है, यह भी देखा जाना आवश्यक है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण का आशय अभिनिर्धारित किया जा सकता है।

39– इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायिक दृष्टांत क्रिमीनल अपील नम्बर 1589/2018 {एसएलपी(क्रिमीनल) नम्बर 1433/2013} स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम कान्हा उर्फ ओमप्रकाश निर्णय दिनांक** 04.02.2019 में अन्य कई न्यायिक निर्णयों का विवेचन करते हुए धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में अवधारित किया है किः–

"The above judgments of this Court lead us to the conclusion that proof of grievous or life–threatening hurt is not a sine qua non for the

offence under Section 307 of the Penal Code. The intention of the accused can be ascertained from the actual injury, if any, as well as from surrounding circumstances. Among other things, the nature of the weapon used and the severity of the blows inflicted can be considered to infer intent."

40– इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय State of Madhya Pradesh Vs Harjeet Singh AIR 2019 SC 1120 निर्णय दिनांक 19.02.2019 में अवधारित किया है किः–

5.6 Section 307 uses the term "hurt" which has been explained in Section 319, I.P.C.; and not "grievous hurt" within the meaning of Section 320 I.P.C.

If a person causes hurt with the intention or knowledge that he may cause death, it would attract Section 307. This Court in R. Prakash v. State of Karnataka,1 held that :

"... The first blow was on a vital part, that is on the temporal region. Even though other blows were on nonvital parts, that does not take away the rigor of Section 307 IPC... ... . It is sufficient to justify a conviction under Section 307 if there is present 1 (2004) 9 SCC 27an intent coupled with some overt act in execution thereof. It is not essential that bodily injury capable of causing death should have been inflicted.

Although the nature of injury actually caused may often give considerable assistance in coming to a finding as to the intention of the accused, such intention may also be deduced from other circumstances, and may even, in some cases, be ascertained without any reference at all to actual wounds. The Sections makes a distinction between the act of the accused and its result, if any. The Court has to see whether the act, irrespective of its result, was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in the Section." (emphasis supplied) If the assailant acts with the intention or knowledge that such action might cause death, and hurt is caused, then the provisions of Section 307 I.P.C. would be applicable. There is no requirement for the injury to be on a "vital part" of the body, merely causing 'hurt' is sufficient to attract S. 307 I.P.C.

41– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि हालांकि धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है कि आहत के मार्मिक अंग पर कोई गंभीर उपहति कारित हुई हो और यह भी आवश्यक नहीं है कि चिकित्सक की राय में आहत के कारित चोट जीवन के लिए प्राणघातक हो, बल्कि अभियुक्त का आशय व ज्ञान हत्या कारित करने का प्रमाणित किया जाना ही आवश्यक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का विवेचन करें तो यह स्पष्ट है कि पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा ने आहत राकेश के मार्मिक अंग सिर पर कारित चोट संख्या 01 एक्सरे व सी.टी. स्कैन रिपोर्ट के आधार पर दायीं पैराईटल अस्थि का अस्थिभंग होना और उक्त चोट गंभीर प्रकृति की व प्राणघातक होना बताया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में चिकित्सकीय साक्ष्य से ही आहत राकेश के प्राणघातक प्रकृति की चोटें कारित होना प्रकट हो रहा है। पी.ड. 01 रामराज व पी.ड. 03 राकेश के कथनों से यह स्पष्ट है कि जब रामराज अपनी उधारी के पैसे मांगने के लिए अभियुक्तगण के पास गया था तो उसके साथ मारपीट की गयी और सूचना मिलने पर जब आहत राकेश घटनास्थल पर पहुंचा तो अभियुक्तगण द्वारा आवेश में आकर यह कहते हुए कि तुम्हें भी देख लेते हैं और इस प्रकार गाली–गलौंच करते हुए छत पर चढ़ कर साशय उन पर पत्थर फैंकना और आहत राकेश के मार्मिक अंग सिर पर गंभीर उपहति कारित करना प्रकट हो रहा है। पी.ड. 05 महावीर ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि गोलू उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना दोनों छत पर चढ़ गये थे और वहां से जान से मारने की नीयत से पत्थर फैंकने लग गये। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत राकेश के ऊपर पत्थर फैंक कर उसके मार्मिक अंग सिर पर गंभीर उपहति इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में कारित की कि उसकी हत्या की जा सके। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (ii) व (iii)–</u>

42– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पी.ड. 01 रामराज व पी.ड. 03 राकेश ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद तथा दिनेश उर्फ धन्ना द्वारा पहले आहत रामराज को रोक कर उसके साथ मारपीट करना और बाद में रामदयाल व राकेश के बीच–बचाव के लिए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपने मकान की छत पर चढ़ कर पत्थर फैंकना बताया है। पी.ड. 05 महावीर ने भी अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना द्वारा छत पर चढ़ कर पत्थर फैंकने का कथन किया है। गवाह पी.ड. 08 डॉ. कुलदीप शर्मा के कथनानुसार आहत राकेश के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.08 में वर्णित 03 चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना तथा आहत रामराज के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.09 में वर्णित चारों चोटें साधारण

प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बताया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद तथा दिनेश उर्फ धन्ना ने आहत रामराज का सदोष अवरोध कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रामराज के साथ मारपीट कर और बाद में अपने मकान की छत से दोनों अभियुक्तगण द्वारा पत्थर फैंक कर आहतगण राकेश व रामराज के स्वेच्छया उपहतियां कारित की। अतः उक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत रामराज व राकेश के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की।

43– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में परिवादी ने कथन किया है कि जब वे बीच–बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे तो अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ गाली–गलौंच कर कहा कि तुम्हे भी देख लेते हैं। पी.ड. 01 रामराज ने अपने बयानो में भी अभियुक्तगण द्वारा मां–बहिन की गालियां व अन्य गालियां देना बताया है। पी.ड. 03 राकेश के कथनों से भी मुल्जिमान द्वारा गाली–गलौंच किया जाना प्रकट हो रहा है। घटना के स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 05 महावीर नागर ने भी अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा रामराज के साथ गाली–गलौंच करना बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत रामराज व परिवादी राकेश के साथ इस आशय से गाली–गलौंच कर उन्हें अपमानित किया ताकि वे प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें या अन्य कोई अपराध कारित करें। **अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iv)–</u>

44– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण ने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य किया, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो। हस्तगत प्रकरण में परिवादी पी.ड. 03 राकेश की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में ही यह तथ्य अंकित है कि जब वह रामराज के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचा तो मुल्जिमान द्वारा उनके साथ गाली–गलौंच कर कहा कि आओ मिन्टो तुम्हें भी देख लेते हैं। यह कह कर अभियुक्तगण का मकान की छत पर जाना और वहां से पत्थर फैंकना बताया है। पी.ड.01 रामराज व पी.ड. 03 राकेश तथा पी.ड. 05 महावीर के कथनों से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण मारपीट की घटना के दौरान जब रामदयाल व राकेश मौके पर पहुंचे तो छत पर चढ़ गये और वहां से पत्थर फैंकने लगे। पी.ड. 05 महावीर ने अपने बयानों में विशिष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्तगण जान से मारने की नीयत से पत्थर फैंकने लगे, जिससे राकेश के सिर में गंभीर चोट आयी। रामदयाल व

रामराज के भी पत्थर से चोटें आयीं। उक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक पत्थर नहीं फैंके गये थे, बल्कि परिवादी राकेश व अन्य के चोटें कारित करने के आशय से ही पत्थर फैंके जा रहे थे और इस अनुक्रम में उनके द्वारा स्वेच्छया उपहतियां कारित की गयी हैं। अभियुक्तगण द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कोई कार्य किया हो और इस प्रकार लापरवाहीपूर्वक पत्थर फैंके गये हों, यह अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक पत्थर फैंक कर आहतगण का मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

विचारणीय बिन्दु संख्या (v)–

45– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/आहत राकेश को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित कर गाली–गलौंच की हो। इस संबंध में सर्वप्रथम यह विचारणीय तथ्य है कि अभियोजन की ओर से परिवादी राकेश का जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है, **ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि परिवादी राकेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।**

46– इसके अतिरिक्त परिवादी राकेश ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 व बयानों में अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक मिन्टा शब्दों से अपमानित करने का तथ्य अंकित किया है, किंतु उक्त तथ्य की पुष्टि किसी स्वतंत्र गवाह के कथनो से नहीं हो रही है। पी.ड. 01 रामराज परिवादी का चाचा होकर हितबद्ध गवाह होना प्रकट हो रहा है। स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 05 महावीर नागर ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि राकेश वगैरह हम साथ उठते–बैठते हैं, इसलिए मित्र हैं। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से यह गवाह भी परिवादी का मित्र होकर हितबद्ध साक्षी होना प्रकट हो रहा है। अन्य स्वतंत्र साक्षी पी.ड. 06 सूरजमल उर्फ सूरजकरण पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने घटना की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया हो।

47– धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप के लिए यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित

किया हो। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **सम्मानित न्यायिक दृष्टांत** "**Daya Bhatnagar And Ors. vs State, 109(2004) DLT, 915** के पैरा–19 में यह अवधारित किया है किः–

19. The SC/ST Act was enacted with a laudable object to protect vulnerable section of the society. Sub–clauses (i) to (xv) of Section 3(i) of the Act enumerate various kinds of atrocities that might be perpetrated against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which constitute an offence. However, Sub–clause (x) is the only clause where even offending "utterances" have been made punishable. The Legislature required 'intention' as an essential ingredient for the offence of Insult', "intimidation' and "humiliation' of a member of the Scheduled Casts or Scheduled Tribe in any place within "public view'. Offences under the Act are quite grave and provide stringent punishments. Graver is the offence, stronger should be the proof. The interpretation which suppresses or evades the mischief and advances the object of the Act has to be adopted. Keeping this in view, looking to the aims and objects of the Act, the expression "public view" in Section 3(i)(x) of the Act has to be interpreted to mean that the public persons present, (howsoever small number it may be), should be independent and impartial and not interested in any of the parties. In other words, persons having any kind of close relationship or association with the complainant, would necessarily get excluded. I am again in agreement with the interpretation put on the expression "public view" by learned brother Mr. Justice B.A. Khan. The relevant portion of his judgment reads as under:

"I accordingly hold that expression within 'public view' occurring in Section 3(i)(x) of the Act means within the view which includes hearing, knowledge or accessibility also, of a group of people of the place/locality/village as distinct from few who are not private and are as good as strangers and not linked with the complainant through any close relationship or any business, commercial or any other vested interest and who are not participating members with him in any way. If such group of people comprises anyone of these, it would not satisfy the requirement of 'public view' within the meaning of the expression used.

48– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि लोक दृश्य में आने वाले किसी स्थान पर जातिसूचक गालियां से सम्बोधित करने का तथ्य तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब किसी स्वतंत्र गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की हो। हस्तगत प्रकरण में घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड. 05 महावीर नागर का परिवादी का मित्र होकर हितबद्ध गवाह होना प्रकट हो रहा है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 06 सूरजमल उर्फ सूरजकरण पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने घटना की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रकरण में स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच करने का तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियों से सम्बोधित किया गया हो। **अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

49– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण ने भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध यह जानते हुए किया कि परिवादी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। इस संबंध में पी.ड. 01 रामराज ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके तीस हजार रुपये गोलू की तरफ थे। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कथन किया है कि उसे गोलू से पैसे लेने थे, जिससे यह दर्शित हो रहा है कि जब पी.ड. 01 रामराज अपने उधार के पैसे मांगने गया तो मुल्जिमान द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी। पी.ड. 03 राकेश ने अपनी जिरह में चाचा रामराज से घटना के बारे में पूछने के संबंध में कथन किया है कि मैंने बाद में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि पैसों का मामला है। पी.ड. 05 महावीर ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि रामराज ने विनोद उर्फ गोलू से अपने उधारी के पैसे मांगे थे तो इसी बात केा लेकर गोलू उर्फ विनोद ने रामराज के साथ गाली–गलौंच व मारपीट की। पी.ड. 03 राकेश और पी.ड. 05 महावीर के कथनों से यह भी स्पष्ट है कि जब रामराज के साथ मारपीट की सूचना मिली और राकेश मौके पर बचाने के लिए गया तो अभियुक्तगण ने छत पर चढ़ कर पत्थर फैंक कर चोटें कारित की तो ऐसी स्थिति में यह दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की जाति को जानते हुए इस आधार पर ही उनके साथ मारपीट की हो

51– धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध की भाषा धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के समान ही है। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय

द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Smt. Chhaya And 3 Others vs State Of U.P. And Another Cri. Appeal No. 5748/2023 निर्णय दिनांक 11.08.2023** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

So far as the offence under Section 3(2) (va) of SC/ST Act is concerned, it is true that as per the language of the Act this section would come into light if the victim/ first informant belongs to SC/ST community only and the accused/appellant knowingly that the victim belongs to SC/ST community committed offence with this intent only. Though, as per the version of the FIR, the appellants are the residents of the same locality where the first informant resides but as per the judgment Hitesh Verma Vs. State of Uttarakhand and Anr., AIR 2020 Supreme Court 5584, the Apex Court opined that any offence under Section 3(2) (va) of SC/ST Act would be made out only if the offence is caused because of being the first informant or the victim of scheduled caste or scheduled tribe community only but the version of FIR clearly speaks that the incident took place because of enmity of the incident dated 05.10.2021, thus, the incident cannot be said to be taken place because of the first informant or the victim belonging to a scheduled caste or scheduled caste community only.

52– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में जहां घटना पूर्व की रंजिश के कारण हुई थी तो हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित होना नहीं माना गया।

53– इसी प्रकार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **CRIMINAL APPEAL NO.3185 OF 2025, Radhe Kevat (Batham) vs The State Of Madhya Pradesh निर्णय दिनांक 25 August, 2025** में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

(18) In the present case, calling of complainant by his caste is admittedly at the house of complainant where the alleged incident of causing gunshot fire as well as injury by means of stick to injured/victim regarding old– monetary transaction had taken place. On the alleged date of incident i.e. 23–05–2023 at around 10:00 pm, although there is allegation that both accused came and stood outside his house and started abusing him in filthy language by naming his caste " Barhar Wale" over

old–monetary transaction between them, but there is no substantive evidence available on record that there was any intention/knowledge of appellants to humiliate/intimidate/ demoralize the complainant by calling him "Barhar Wale". In fact, utterance is in fact doubtful.

(19) In view of the parameters referred above and the evidence available on record, it appears that no case is made out involving ingredients of SC/ST Act under Section 3(2)(v) of the SC/ST Act, against the present appellants. The trial Court has committed an error in convicting and sentencing appellants under Section 3(2)(v) of the SC/ST Act. Accordingly, they are acquitted from the charge levelled against them for offence under Section 3(2)(v) of SC/ST Act.

54– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित मत से यह स्पष्ट है कि जहां अभियुक्तगण द्वारा किसी अन्य विवाद को लेकर परिवादी/आहत के साथ मारपीट की है तो यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी की जाति को जानते हुए उसे अपमानित या अभित्रस्त करने के आशय से मारपीट की हो। हस्तगत प्रकरण में ऊपर किये गये साक्ष्य के विवेचन के अनुसार आहत रामराज के अभियुक्त गोलू की तरफ 30 हजार रुपये बकाया होना और उक्त रुपयों की मांग करने पर अभियुक्त गोल उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना द्वारा रामराज के साथ मारपीट करना और मारपीट की सूचना मिलने पर परिवादी/आहत राकेश का मौके पर बचाने के लिए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपने मकान की छत पर चढ़ कर पत्थर फैंक कर चोटें कारित किया जाना प्रकट हो रहा है, तो यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी की जाति को जानते हुए इस आधार पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता कारित किया हो। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों के प्रकाश में धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आवश्यक तत्व विद्यमान होना प्रकट नहीं हो रहा है। **अतः अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।**

55– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i), (ii) व (iii) को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है जबकि विचारणीय बिन्दु संख्या (iv), (v) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद व दिनेश उर्फ धन्ना को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **336 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त

घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा उक्त अभियुक्तगण को धारा **341, 323, 504, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>–आदेश–</u>

56– अतः अभियुक्तगण **1. गोलू उर्फ विनोद कुमार पुत्र हुकुमचन्द, उम्र–34 साल(वर्तमान उम्र–42 साल), 2. दिनेश उर्फ धन्ना पुत्र हुकुमचन्द, उम्र– 26 साल (वर्तमान उम्र–34 साल) निवासीगण–आटोन, थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **336 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त सभी अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जावेगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवाई</u>–

57– सजा के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुना गया।

58– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि अभियुक्तगण लगभग 08 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए।

59– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा आहत राकेश के अन्य साधारण प्रकृति की चोटों के साथ–साथ मार्मिक अंग सिर में गंभीर चोट कारित की गयी हैं। अन्य आहत रामराज के भी साधारण प्रकृति की चोटें कारित की गयी हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

60– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

61– प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा आहत राकेश की हत्या करने का आशय व ज्ञान रखते हुए अपने मकान की छत पर चढ़ कर पत्थर फैंक कर आहतगण के चोटें कारित की गयी हैं और आहत राकेश के मार्मिक अंग सिर पर गंभीर प्रकृति की चोट कारित की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित माना गया है तो उन्हें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता है, किंतु प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित करने के बजाय निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है।

–दण्डादेश–

62– परिणामतः अभियुक्तगण **1. गोलू उर्फ विनोद कुमार पुत्र हुकुमचन्द, उम्र–34 साल(वर्तमान उम्र–42 साल), 2. दिनेश उर्फ धन्ना पुत्र हुकुमचन्द, उम्र– 26 साल (वर्तमान उम्र–34 साल) निवासीगण–आटोन, थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित** किया जाकर निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता हैः–

(i) प्रत्येक अभियुक्त को धारा **307/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **05 वर्ष के साधारण कारावास व 6000/– रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **तीन माह का साधारण कारावास** पृथक से भुगतेगा।

(ii) प्रत्येक **अभियुक्त** को **धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **06 माह के साधारण कारावास व 500/– रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 07 **दिवस का साधारण कारावास** पृथक से भुगतेगा।

(iii) प्रत्येक **अभियुक्त** को **धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **06 माह के साधारण कारावास व 1000/– रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(iv) प्रत्येक **अभियुक्त** को **धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **01 माह के साधारण कारावास व 500/– रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **07 दिवस का साधारण कारावास** पृथक से भुगतेगा।

63– अभियुक्तगण को दी गयी उक्त समस्त मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि मूल सजा में समायोजित होंगी।

64– उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण का सजा वारण्ट बनाया जाए।

65– प्रकरण का वजह सबूत व मालखाना बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

66– अभियुक्तगण द्वारा उक्तानुसार जुर्माना राशि जमा होने पर उक्त सम्पूर्ण जुर्माना राशि में से **12,000/–रुपये** परिवादी/आहत राकेश को तथा **2000/–रुपये आहत रामराज** को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जाए। चूंकि आहतगण को उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने के आदेश किये जा चुके हैं। अतः पृथक से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

67– अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–ए सीआरपीसी के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु जमानत–मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक कराए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

68– निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

SUKHVEER LODHI
Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by SUKHVEER LODHI Date: 2026.03.28 16:47:34 +0530